R.M.M LAW COLLEGE-SAHRSA

Manvendra Mandal part time lecturer	Subject Contract-II Specific Contracts	Date - 26-04-2020

1. क्षतिपूर्ति की संविदा
Contract of Indemnity
(Section 124 and 125)

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित करती है। इसके अनुसार वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का प्रतिज्ञा करता है या वचन देता है "क्षतिपूर्ति की संविदा" कहलाती है। इस बिन्दु पर भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में मतभिन्नता है, जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है।

भारतीय विधि :-

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 से स्पष्ट हो जाता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से उस दूसरे पक्षकार को बचाने की प्रतिज्ञा करता है। जो व्यक्ति बचाने का प्रतिज्ञा करता है, उसे क्षति पूर्ति दाता (Indemnifier) और जिसको प्रतिज्ञा दी जाती है उसे क्षतिपूर्तिधारी (Indemnity holder) कहते है। यदि क्षतिपूर्तिदाता क्षतिपूर्ति करने की पूर्ण प्रतिज्ञा करता है तो ऐसी दशा में पालन में चूक होने पर ही क्षतिपूर्ति के लिए वाद किया जा सकता है, चाहे वास्तविक हानि न हुई हो यदि Indemnity holder दायित्व उपगत करता है और दायित्वपूर्ण है तो वह Indemnifier से उसे हानि से बचाने और इसके भुगतान की मांग कर सकता है।

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल ऐसी हानियों से बचाने की प्रतिज्ञा होती है जो प्रतिज्ञाकर्ता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न हुई है। भारतीय विधि में केवल मनुष्य के आचरण से उत्पन्न हानि से बचाने की प्रतिज्ञा होती है, मनुष्य के

आचरण से भिन्न तरीके से होने वाली हानि से बचाने की प्रतिज्ञा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए क्षतिपूर्ति की संविदा में अग्नि से होने वाली हानि से बचाने की प्रतिज्ञा शामिल नहीं है। बीमा संबंधी संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि यह धारा 31 में परिभाषित समाश्रित (contingent contract) की श्रेणी में आती है।

धारा 124 में इस बात का स्पष्ट उपबन्ध नहीं है कि क्षतिपूर्ति की संविदा implied हो सकती है। परन्तु एक वाद में प्रिवी कौंसिल ने यह मत व्यक्त किया गया है कि क्षतिपूर्ति की संविदा विवक्षित (implied) हो सकती है। इस प्रकार इस निर्णय के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजी विधि के समान ही भारतीय विधि में भी क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त या implied हो सकती है।

:- अंग्रेजी विधि :-

अंग्रेजी विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा का अर्थ भारतीय विधि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा के अर्थ की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अंग्रेजी विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल प्रतिज्ञाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने की ही प्रतिज्ञा सम्मिलित नहीं है, बल्कि किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली हानि से बचाने की प्रतिज्ञा शामिल है। इस प्रकार अंग्रेजी विधि में अग्नि से होने वाली हानि से बचाने की प्रतिज्ञा भी क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित है। अंग्रेजी विधि में जीवन बीमा की संविदा को छोड़कर अन्य सभी बीमा के संविदे क्षतिपूर्ति की संविदा की श्रेणी में आते हैं।

निष्कर्षतः क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। अर्थात हानि से बचाने की प्रतिज्ञा अभिव्यक्त भी हो सकती है या implied भी हो सकती है।

धारा- 125

(2) क्षतिपूर्तिदाता (Indemnifier) का दायित्व और क्षतिपूर्तिधारी (Indemnity holder) के अधिकार :- भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 क्षतिपूर्तिदाता के दायित्व और क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार का उल्लेख से सम्बन्धित है। यह धारा क्षतिपूर्तिधारी का उन दशाओं में उपलब्ध अधिकारों का उल्लेख करती है, जबकि उसके विरुद्ध वाद चलाया जाता है, परन्तु इस धारा में उस दशा और परिस्थिति में Indemnity holder को उपलब्ध अनुतोष का उल्लेख ही नहीं किया गया है, जबकि उस पर वाद नहीं चलाया गया है। इस तरह धारा 125 में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार आंशिक है, जबकि इसे और स्पष्ट परिभाषित करने की आवश्यकता है।

भारतीय विधि आयोग ने भी अपना सुझाव दिया है कि Indemnity holder के अधिकार को और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए और उन दशाओं में भी क्षतिपूर्तिधारी के अनुतोषों का उल्लेख किया जाना चाहिए जबकि क्षतिपूर्तिधारी पर वाद नहीं चलाया गया है।

धारा 125 के अनुसार Indemnity holder, अपने प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करते हुए, Indemnifier से दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूल कर सकता है :-

(1) यदि क्षतिपूर्तिधारी को किसी बात से सम्बन्धित वाद के अन्तर्गत नुकसानी या प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया गया है जिसके सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा लागू होती है तो वह क्षतिपूर्तिदाता से इस प्रकार दिये गये धन को वसूल कर सकता है।

(2) क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता से ऐसी किसी वाद की लागत या खर्चे जिसे वह देने के लिए विवश किया जाता है, वसूल किया जा सकता है, बशर्ते उसने उसे चलाने में या उसका बचाव करने में क्षतिपूर्तिदाता के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और वैसे ही कार्य किया है जैसा कार्य करना क्षतिपूर्ति की संविदा न होने पर उसके लिए prudent होता या Indemnifier से उसे वाद

चलाने या उसका बचाव करने के लिए प्राधिकृत किया है।
(3) क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता से वह खर्चा खर्च वसूल कर सकता है जो उसने ऐसे वाद के समझौते के अन्तर्गत दिया है, बशर्ते यह समझौता क्षतिपूर्तिदाता के आदेश के विरुद्ध न हो और ऐसा हो कि क्षतिपूर्ति की संविदा न होने पर भी उसका किया जाना क्षतिपूर्ति धारी के लिए prudent होता या क्षतिपूर्तिदाता ने वाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया है।

दायित्व का प्रारम्भ-

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या indemnity holder को बिना वास्तविक क्षति हुए भी क्षतिपूर्तिदाता को क्षतिपूर्ति करने को कहा जा सकता है? दूसरा यह कि क्या क्षतिपूर्तिदाता का दायित्व क्षतिपूर्तिधारी के वास्तव में क्षति होने के बाद उत्पन्न होता है?

क्षतिपूर्तिदाता एवं क्षतिपूर्तिधारी के बीच विवाद से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के दावे और अनुतोष के सम्बन्ध में भी भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में भेद है जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है।

अंग्रेजी विधि- कॉमन लॉ में यह सिद्धान्त था कि क्षतिपूर्तिधारी का दावा तभी कर सकता था जबकि उसे वास्तव में क्षति हो। क्षतिपूर्तिधारी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने की शर्त यह थी कि दावा करने से पूर्व उसे क्षति हुई है। पहले क्षति और बाद में क्षतिपूर्ति का दावा। परन्तु बाद में साम्या न्यायालय ने इस सिद्धान्त को परिवर्तित कर दिया और यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति से पूर्व क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। साम्या द्वारा विकसित यह सिद्धान्त इंग्लैंड में सभी न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है।

भारतीय विधि:- भारत में भी इस प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मत भेद है। कुछ उच्च न्यायालयों

का मत है कि क्षतिपूर्तिधारी तब-तक क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता जब-तक कि उसे वास्तव में क्षति नहीं हुई है। इस मत के अनुसार पहले क्षति, उसके बाद क्षतिपूर्ति का दावा वास्तव में सही विधि का सिद्धान्त है।

परन्तु कुछ उच्च न्यायालय अंग्रेजी विधि का ही समर्थन करते है और इंग्लैंड में साम्या द्वारा विकसित सिद्धान्त को उचित मानते हैं। विधि आयोग ने भी इसी मत को बेहतर माना है और कॉमन लॉ का समर्थन करते हुए कहा है कि क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति से पूर्व क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।

Samsung Triple Camera
Shot with my Galaxy A70s